राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

RCSE

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, एकलव्य भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–5192266, 2700447 E-mail: modelschoolest@gmail.com

क्रमांक : रामाशिप / जय / मॉडल स्कूल / संस्थापन / 3067 दिनांक:– 5/7/18

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.)
एवं जिला परियोजना समन्वयक
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
समस्त जिले

विषयः– राज्य में संचालित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में शिक्षको / कार्मिकों के रिक्त पदों पर सेवानिवृत शिक्षकों / कार्मिकों की सेवाएं संविदा के आधार पर लेने बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में शैक्षणिक स्टाफ के रिक्त पदों पर कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 17 (10) डीओपी / ए–II / 94 दिनांक 11 जुलाई 2017 व प.17(10) डीओपी / ए–II / 94 दिनांक 13 जुलाई 2017 एवं वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ.12 (6) वित्त / नियम / 2009 दिनांक 01.12.2015 के अनुसार सेवानिवृत शिक्षकों को संविदा पर लगाने हेतु दिशा–निर्देशः–

1. व्याख्याता पद हेतु योग्यता:– संबंधित विषय के प्राध्यापक / व. अध्यापक पद / तृतीय श्रेणी से सेवानिवृत तथा संबंधित विषय की कक्षा 11 व 12 को पढाने की योग्यता रखता हो (अधिस्नातक में संबंधित विषय एव बी.एड.)।
2. वरिष्ठ अध्यापक पद हेतु योग्यता:– संबंधित विषय के प्राध्यापक / व. अध्यापक पद / तृतीय श्रेणी से सेवानिवृत तथा संबंधित विषय की कक्षा 9 व 10 को पढाने की योग्यता रखता हो (स्नातक में संबंधित विषय एव बी.एड.)।
3. विद्यालय वार व विषयवार रिक्त पदों की सूचना rajrmsa.nic.in पर अपलोड तथा जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय व संबंधित विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी।
4. संविदा पर नियुक्ति हेतु पात्र आशार्थी जिस स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में सेवाएं देना चाहता है, अपना आवेदन पत्र संबंधित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करके संबंधित प्रधानाचार्य इस पद हेतु एक रजिस्टर संधारित करेगा तथा समस्त प्रार्थना पत्रों को जिला परियोजना समन्वयक (डी.पी.सी.) कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

www.rajteachers.com

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, एकलव्य भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017

दूरभाष: 0141–5192266, 2700447 E-mail: modelschoolest@gmail.com

5. जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय द्वारा संवीक्षा कार्यवाही पूर्ण कर एक सत्र के लिये अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो संविदा पुनर्नियुक्ति कार्यवाही की जावेगी तथा कार्मिक विभाग के परिपत्र प.17(10) डीओपी/ए–II/94 दिनांक 13 जुलाई 2017 के परिशिष्ट 'क' के अनुसार मानदेय का निर्धारण किया जावेगा। चयन की स्थिति में कार्यालय आदेश जारी कर अनुबंध किया जा सकेगा।

6. आशार्थी की आयु 65 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये।

7. जिन कार्मिकों को उक्त सेवा मे एक वर्ष पूर्ण हो चुका है, उनकी सेवावधि एक वर्ष बढायी जा सकती है।

8. आशार्थी आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज अवश्य लावें:

   I. सेवानिवृति आदेश II. एल.पी.सी. III. पी.पी.ओ. नंबर IV. जन्मतिथि प्रमाण पत्र

संलग्नः– वित्त व कार्मिक विभाग के आदेश

(सुरेश चन्द्र)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सहायक, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
2. नियंत्रक वित्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
3. संबंधित अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, को निर्देशित किया जाता है कि दिये गये निर्देशों की पालना कराना सुनिश्चित करें।?
4. कार्यालय प्रति।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

www.rajteachers.com